राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 302 / 2023

रामजीवन चौधरी — अपीलार्थी–

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासनिक) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, डीविजन–III, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
5. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, लवेरा बौरी, जोधपुर।

प्रत्यर्थीगण–

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.08.2023
आदेश की दिनांक : 24.04.2024

उपस्थितः–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.एस. बिस्सा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थी को 10 माह का वेतन दिनांक 21.01.2021 से 21.10.2021 तक का ब्याज सहित एवं क्षतिपूर्ति आदेश के साथ परिलाभ दिलाया जावे।
2. अपने तर्क को जारी रखते हए्ु विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी को उपखण्ड झालरापाटन झालावाड से आदेश दिनांक 05.01.2021 के द्वारा स्थानांतरण किया गया। इसको सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर में चुनौती दिये जाने पर उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 05.01.2021 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 06.01.2021 को स्थगित सिविल सेवा अधिकरण द्वारा किया। इस आदेश की पालना हेतु प्रार्थी ने विभाग के उच्च अधिकारियों को दिनांक 28.07.2021 को सहायक अभियंता जिला खण्ड–III को आलोच्य अवधि में पुनः पूर्ववर्ती पदस्थापन पर उपस्थिति हेतु बारम्बार निवेदन किया एवं वेतन दिलवाने के संबंध में प्रार्थना की। जिसकी प्रति (अनुलग्नक–2) पर प्रस्तुत की गई है एवं विभाग के उच्च अधिकारी मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर, श्री नीरज माथुर ने आदेश दिनांक 24.08.2020 (अनुलग्नक–3) राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के आदेश के क्रियान्वयन करने का आदेश जारी किये भी गये। प्राथ्री द्वारा एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर को दिनांक 21.10.2021 को पुनः कार्यालय

में जोईनिंग दी। इसके उपरान्त भी कार्यालय द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की गयी। दिनांक 21.10.2021 को पुनः उपस्थिति पत्र प्रार्थी रामजीवन चौधरी द्वारा दी गयी। कई प्रयासों के उपरान्त भी प्रार्थी की न तो उपस्थिति दर्ज की गयी और नहीं दिनांक 21.01.2021 से 21.10.2021 तक 10 माह का वेतन दिया गया। प्रार्थी को आलोच्य अवधि 21.01.2021 से 21.10.2021 तक 10 माह के वेतन एवं समस्त परिलाभ प्रदान किये जाने हेतु गुहार की है।

3. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत किया है कि सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेश दिनांक 05.01.2021 की पालना में प्रार्थी की उपस्थिति कार्यालय में नहीं दी गई है। अतः अपीलार्थी को 10 माह का वेतन देय नहीं है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन कर समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं दोनों पक्षों के तर्कों पर गौर किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के आदेश द्वारा अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश दिनांक 05.01.2021 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 06.01.2021 को स्थगित कर किया गया। राजकीय अधिवक्ता का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि अधिकरण, जयपुर के आदेश द्वारा प्राथ्री ने सिविल सेवा आदेश के उपरान्त भी उपस्थिति कार्यालय में दर्ज नहीं करायी गई। जबकि प्रार्थी द्वारा उपस्थिति दिये जाने के संबंध में आवेदन दिनांक 28.07.2021 (अनुलग्नक–2) की प्रति प्रस्तुत की है एवं विभाग के उच्च अधिकारियेां द्वारा भी इस संबंध में पत्राचार कर आदेश प्रसारित किया गया है। स्पष्ट है कि प्रार्थी की उपस्थिति दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी को कार्यालय के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उपस्थिति दर्ज नहीं करवायी गयी है। राजकीय अधिवक्ता तर्क उचित नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा उपस्थिति दिये जाने के संबंध में दस्तावेज पत्रावली पर विभाग के कार्यालय की रसीद प्राप्ती सहित उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा उपस्थिति दी जाने के उपरान्त भी विभाग के संबंधित कार्यालय द्वारा प्रार्थी की उपस्थिति नहीं ली गई। ऐसे में प्राथ्री आलोच्य अवधि दिनांक 21.01.2021 से 21.10.2021 तक की अवधि का वेतन पाने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उक्त अवधि को वेतन दो माह में नियमानुसार प्रदान किये जावे। विभाग के उच्च अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने अधिनस्थ कार्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण रखे एवं अधिकरण के आदेशों की पालना सहित नियमानुसार उचित कार्यवाही कर अमल में लाये जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करावे।

6. उपरोक्त आदेश के साथ उक्त प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य